HOUSE OF LORDS (लार्ड सभा)

ब्रिटेन में द्वितीय सदन या उच्च सदन को लार्डसभा कहा जाता है। इंग्लैण्ड की राजनीतिक एवं तथा न्यायिक पद्धति में लार्ड सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कई प्रकार से अद्वितीय संस्था है। यह संसार की प्राचीनतम विधायी संस्था है। यह संसार की एकमात्र व्यवस्थापिका है जिसकी सदस्यता पैतृक है। तथा यह एक मात्र द्वितीय सदन है जिसका प्रत्यक्ष विरोध किया गया है। यह मुख्यतः एक रूढ़िवादी सदन है इसलिये इंग्लैण्ड जैसे लोकतंत्रात्मक देश में नहीं जंचती। जब कॉमन्स सभा में (House of Commons) में अनुदार दल (Conservative Party) का बहुमत होता है तो यह एक आदर्श द्वितीय सदन का काम करता है। जब कॉमन्स सभा में मजदूर दल का बहुमत होता है तो यह लोकतंत्र के पहियो के लिये ब्रेक का काम करता है।

गठन :- लार्ड सभा के गठन का आधार वंश परम्परा या मनोनयन है। यह ब्रिटीश संसद का उच्च सदन (Upper house) है। लार्ड सभा के सदस्य अग्रलिखित प्रकार के होते हैं।

1. राजवंश के सदस्य (Peers of Royal Blood)
2. आनुवंशिक पियर (Hereditary Peers)
3. स्काटलैण्ड के प्रतिनिधि पियर (Representative Peers of Scotland)
4. आयरलैण्ड के पियर (Peers of Ireland)
5. कानूनी लार्ड (Law Lords)
6. अध्यात्मिक लार्ड (Spiritual Lords)
7. आजीवन पियर (Life Peers)

1958 से पूर्व लार्ड सभा में आजीवन पियर की व्यवस्था नहीं थी। 1958 ई० के "लाईफ पियरेज एक्ट" के अनुसार प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर सम्राट कुछ अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों को आजीवन पियर नियुक्त करता है। वर्तमान समय में लार्ड सभा के सदस्यों की संख्या 1186 है।

लार्ड सभा के अध्यक्ष को लार्ड चांसलर कहा जाता है। कामन्स सभा की भांति लार्ड सभा के अंतर्गत भी लिपिक व अन्य पदाधिकारी होते हैं।

अधिवेशन :- लार्ड सभा का अधिवेशन कामन्स सभा के अधिवेशन के साथ-2 चलता है। इसकी बैठकें मंगलवार, बुधवार एवं गुरूवार को होती है। कभी-2 इसकी बैठक सोमवार को

P.T.O.

Scanned with CamScanner

भी होती है। लार्डसभा की बैठकों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इनमें सदस्यों की संख्या उपस्थिति सामान्यतः बहुत कम होती है। लार्डसभा के बैठकों की गणपूर्ति तीन सदस्यों की होती है परंतु किसी भी विधेयक के पारित होने के लिये कम से कम 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। के सदस्यों

विशेषाधिकार :- कामन्स सभा की तरह लार्डसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार हैं। लार्डसभा के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है। उनके द्वारा सदन में विचार व्यक्त किये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कामन्स सभा के सदस्य सामूहिक रूप से अध्यक्ष के माध्यम से ही सम्राट के सम्मुख पहुंच सकते हैं परंतु लार्डस-सभा के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी सम्राट के सम्मुख पहुंच सकते हैं।

लार्डस सभा के सदस्यों पर कुछ बंधन भी हैं जैसे वे कामन्स सभा के लिये उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं तथा संस-दीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। लार्डस सभा के सदस्य अवैतनिक होते हैं परंतु उन्हें यात्रा भत्ता तथा अन्य प्रकार के भत्ते मिलते हैं।

POWER AND FUNCTIONS :-

लार्डस सभा के कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना करने के संदर्भ में 1911 एवं 1949 ई० के अधिनियमों का उल्लेख करना आव-श्यक है। 1911 से पूर्व लार्डस सभा की ~~शक्तियां~~ स्थिति कामन्स सभा के समकक्ष थी। 1911 ई० के संसदीय अधिनियम के द्वारा लार्डस-सभा की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया। 1949 ई० के संसदीय अधिनियम द्वारा लार्डस सभा की शक्तियों को और भी कम कर दिया गया। "इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि कोई अवित्तिय विधेयक कामन्स सभा द्वारा एक वर्ष की अवधि में दो बार पारित कर दिया जाय तो वह विधेयक लार्डस सभा द्वारा पारित हुये बिना दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा और सम्राट के हस्ता-क्षर से कानून का रूप धारण कर लेगा।"

लार्डस सभा के कार्यों एवं शक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है :-

Scanned with CamScanner

(1) विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ :- 1911 ई० से पूर्व लार्ड्स सभा की विधि निर्माण के क्षेत्र में कामन्स सभा के समकक्ष स्थिति प्राप्त थी, लेकिन 1911 के पश्चात् लार्ड्स सभा की विधायिनी शक्तियों में ह्रास हुआ। धन विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयकों के संबंध में, यदि लार्ड्स सभा कामन्स सभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत कर देती है और कामन्स सभा उसे दुबारा पारित कर देती है तो वह एक महीने के बाद लार्ड्स सभा द्वारा पारित नहीं होने के बावजूद दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और उसे सम्राट के पास स्वीकृति के लिये भेज दिया जाता है। इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में लार्ड्स सभा की भूमिका गौण है।

(2) वित्तीय शक्तियाँ :- वित्तीय क्षेत्र में भी कामन्स सभा की ही प्रधानता है। धन विधेयक सर्वप्रथम कामन्स सभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि धन विधेयक कामन्स सभा द्वारा पारित होकर लार्ड्स सभा में जाता है तो लार्ड्स सभा उसे एक माह तक अपने पास रख सकती है। एक माह के बाद वह लार्ड्स सभा द्वारा पारित हुये बिना भी दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा।

(3) कार्यपालिका पर नियंत्रण :- कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में भी लार्ड्स सभा के अधिकार औपचारिक हैं। लार्ड्स सभा के कुछ सदस्य कैबीनेट मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं। परंतु मंत्रिमंडल लार्ड्स सभा के प्रति उत्तरदायी न होकर कामन्स सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लार्ड्स सभा को मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछने, सार्वजनिक नीति पर वाद विवाद करने तथा निंदा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। लार्ड्स सभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं पारित कर सकती है।

(4) न्यायिक शक्तियाँ :- लार्ड्स सभा विधायिका के साथ-2 न्यायपालिका के रूप में भी काम करती है। लार्ड्स सभा इंग्लैण्ड का अपील संबंधी सर्वोच्च न्यायालय है। लार्ड्स-सभा जब अपील न्यायालय के रूप में काम करती है तब उसके सभी सदस्य न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेते। केवल कानूनी लार्ड ही इसमें भाग लेते हैं। अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में लार्ड्स सभा इंग्लैण्ड और उत्तरी आयरलैण्ड के न्यायालयों की अपील सुनती है।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

Real Position :-

वास्तविक स्थिति :- लार्ड्स सभा की शक्तियों एवं कार्यों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि लार्ड्स सभा एक औपचारिक सदन है। यह न केवल द्वितीय सदन है बल्कि एक गौण सदन भी है। 1911 ई० के पूर्व लार्ड्स सभा की जो स्थिति थी उसमें अब काफी परिवर्तन हुआ है। आज लार्ड्स सभा विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन (Second chamber) माना जाता है। न केवल वित्तीय क्षेत्र में वरन् साधारण विधेयकों के क्षेत्र में भी इसकी स्थिति कमजोर ही कही जा सकती है। स्टैण्डर्ड हैरोल्ड के कथनानुसार, "संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है जबकि ब्रिटेन की लार्ड्स सभा सबसे निर्बल द्वितीय सदन है।"

आलोचना (criticism) →

लार्ड्स सभा ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत न केवल सबसे कमजोर अंग है वरन् सबसे अधिक आलोचित सदन भी। इसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की आलोचनायें की गई हैं। लास्की के मतानुसार लार्ड्स सभा एक असंगति है। जे० आर० क्लाईहस के अनुसार लार्ड्स सभा एक ऐसी संस्था है जिसे ठीक से सुधारा नहीं जा सकता। यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर देना चाहिये। लार्ड्स सभा के विरुद्ध आलोचना के निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं :-

(1) लोकतंत्र विरोधी गठन :- लार्ड्स सभा के गठन के संबंध में मुख्य आलोचना यह है कि यह लोकतंत्र विरोधी है। अन्य राज्यों में द्वितीय सदन का गठन या तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है या परोक्ष निर्वाचन के आधार पर। ब्रिटेन की लार्ड सभा वंश परंपरानुगत ढंग से गठित होती है, इसलिये इसे अलोकतांत्रिक कहा जाता है।

(2) निहित स्वार्थों का दुर्ग :- लार्ड्स सभा को धनिकों या निहित स्वार्थों का दुर्ग कहा जाता है। इसके सभी सदस्य ब्रिटेन के राजघराने या धनिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सामान्य जनता या सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि नहीं होते हैं।

(3) अनुदारवादी तत्वों (Conservative elements) की स्थायी प्रधानता :- लार्ड्स सभा में स्थायी तौर पर अनुदार दल की प्रधानता रहती है। चूँकि इसके सदस्य आजीवन तथा वंशानुगत होते हैं इसलिये इसके अंतर्गत हमेशा अनुदार दल की प्रभुता रहती है। 1958 ई० के बाद सरकार

Scanned with CamScanner

द्वारा पियर नियुक्त करने के प्रावधान के कारण कुछ उदार दल तथा कुछ श्रमिक दल के सदस्य हुये हैं, अन्यथा यहाँ हमेशा अनुदार दल के सदस्य ही रहे हैं।

(५) सदस्यों की उदासीनता :- लार्ड सभा के सदस्यों की उदासीनता भी इसके विरुद्ध आलोचना का एक मुख्य विषय है। यद्यपि लार्ड सभा के सदस्यों की संख्या १००० से अधिक है तथापि इसकी औसत उपस्थिति ५० से १०० के बीच रहती है।

(६) दोषपूर्ण प्रक्रिया :- लार्ड सभा की कार्यवाही की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। इसकी बैठक की गणपूर्ति (quorum) तीन (३) रखी गई है। गणपूर्ति की इतनी कम संख्या विश्व के किसी अन्य सदन की नहीं है।

(७) शक्तियों के मामले में अति निर्बल :- लार्ड सभा की शक्तियाँ मात्र औपचारिक हैं। विधि निर्माण, वित्त पर नियंत्रण तथा कार्य पालिका पर नियंत्रण - तीनों क्षेत्रों में लार्ड सभा एक औपचारिक सदन के रूप में काम करती है। १९११ तथा १९४९ ई० के संसदीय अधिनियमों ने इसके सारे पंख कतर डाले हैं। अब यह मात्र एक मूक, बधिर तथा निपंगु सदन के रूप में काम करती है।

(८) द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगी :- द्वितीय सदन के रूप में यह एक अनुपयोगी सदन है। विधि निर्माण से लेकर कार्य-पालिका - संबंधी क्षेत्र में लार्ड सभा एक अनुपयोगी सदन बन-कर रह गई है।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लार्ड सभा के संगठन में सुधार की आवश्यकता है। यदि इसके अंतर्गत समय पर सुधार नहीं लाया जाता है तो लार्ड सभा की उपयोगिता अत्यधिक सीमित हो जायेगी। यह निश्चित है कि कामन्स सभा की अपेक्षा इसकी शक्तियाँ कम होगी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे एकदम मूक, बधिर एवं पंगु बने रहना चाहिये। लार्ड सभा का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे यह सदन कामन्स सभा पर एक सीमा तक रोक लगाने में समर्थ हो सके।

Scanned with CamScanner